



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

18, सांस्थानिक क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110 016

फा. सं० 110331/02/2012-केविसं/(मु०)/वि०छू०/सां


दिनांक:- 20 जुलाई, 2012

कार्यालय जापन

विषय:- केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष छूट प्रवेश की नई योजना

केविसं के अधिशासी मण्डल की 12 जुलाई, 2012 को सम्पन्न 93 वीं बैठक में किए गए अनुमोदन के परिणामस्वरूप संसद सदस्यों के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश से संबंधित वर्तमान योजना के एवज में नई योजना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है जिसकी प्रमुख शर्तें निम्न प्रकार हैं-

- प्रत्येक सांसद प्रति शैक्षिक वर्ष केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु 06 (छः) प्रवेश की सिफारिश कर सकते हैं परंतु ये सिफारिशें माननीय सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित ऐसे अभिभावकों के बच्चों के लिए सीमित होंगी जो या तो निवास स्थान या अपनी सेवाओं की आकस्मिकताओं के कारण स्थानांतरित हुए हों या अपनी तैनाती के एकदम पहले उस निर्वाचन क्षेत्र में रह रहे हों। ऐसी सिफारिशें केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए ही मान्य होंगी। यदि माननीय सांसद (लोकसभा) के निर्वाचन क्षेत्र में कोई केन्द्रीय विद्यालय स्थित नहीं है तो सांसद ये सिफारिशें अपने निर्वाचन क्षेत्र के निकटवर्ती निर्वाचन क्षेत्र में स्थित किसी भी एक या अधिक केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए कर सकते हैं। राज्यसभा के सांसद ये सिफारिशें उस राज्य में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए कर सकते हैं जहां से वे चुने गए हैं। राज्य सभा एवं लोकसभा के मनोनीत सदस्य 06 प्रवेश के लिए संस्तुतियाँ देश भर के किसी भी केन्द्रीय विद्यालय के लिए भेज सकते हैं।
- ऐसे प्रवेश कक्षा की निर्धारित क्षमता से ऊपर होंगे।
- ये संस्तुतियाँ प्री-प्राइमरी, दसवीं एवं बारहवीं कक्षाओं को छोड़कर अन्य किसी भी कक्षा के लिए भेजी जा सकती हैं।
- ये प्रवेश शिक्षा-सत्र के प्रारम्भ में किए जाएंगे और संबंधित वर्ष में सामान्य प्रवेश के लिए दी गई निर्धारित तिथि अर्थात् 31 जुलाई के पश्चात् ऐसे किसी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- माननीय सांसद द्वारा की गई संस्तुतियाँ तभी वैध समझी जाएंगी जब वे केविसं (मु०) द्वारा उन्हें उपलब्ध करवाए गए निर्धारित प्रपत्र में उन नामों को भेजेंगे। किसी अन्य तरीके से भेजी गई संस्तुतियाँ पर विचार नहीं किया जाएगा।
- माननीय सांसद द्वारा अनुशंसित विद्यार्थियों को केविसं के प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रवेश की सभी अन्य शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा।



(अविनाश दीक्षित)

आयुक्त

वितरण:-

1. लोकसभा सभापति के निजी सचिव
2. राज्यसभा के उपाध्यक्ष के निजी सचिव
3. सभी संसद सदस्य (राज्यसभा एवं लोकसभा)
4. निजी सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्री शास्त्री भवन, नई दिल्ली
5. निजी सचिव, मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त सचिव (यू टी-2), विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मा०सं०वि०मं० नई दिल्ली
2. उपायुक्त, केविसं, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय
3. प्राचार्य, समस्त केन्द्रीय विद्यालय
4. गार्ड फाईल



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

18, सांस्थानिक क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110 016

F.No. 110331/02/2012-KVS(Hq.)/Sp.Disp./MP

Dated: 20.07.2012

OFFICE MEMORANDUM

Subject : New Scheme of Special Dispensation Admission in Kendriya Vidyalayas

Consequent upon the approval of the Board of Governors of KVS in the 93rd Meeting held on 12th July 2012, the **New Scheme of Special Dispensation Admission** for Members of Parliament for recommending names for admission in Kendriya Vidyalayas (in lieu of the existing scheme), comes into vogue with immediate effect with the following features:

- i) Each MP can refer 06 (six) cases for admission under the Scheme in an academic year but such recommendations shall be confined to children whose parents belong to his constituency either by domicile or on account of having been soon-before posted there or else on account of exigencies of service migrate to his constituency. Such recommendations would be for admissions in Kendriya Vidyalayas located in his constituency only. In case there is no Kendriya Vidyalaya in the constituency of the Hon'ble MP (Lok Sabha), he/she may recommend these admissions in the Kendriya Vidyalaya(s) located in any neighbouring contiguous constituency. For Members of the Rajya Sabha, the state from which the member has been elected would be deemed to be his constituency for this purpose. Nominated members of the Rajya Sabha and Lok Sabha can recommend 06 cases for admission in any one or more Kendriya Vidyalayas of the country.
- ii) These admissions shall be over and above the class strength.
- iii) These recommendations would be made for all classes except pre-primary, and classes Xth and XIIth.
- iv) These admissions would be made at the beginning of the academic year and no admission would be allowed after the prescribed cut off date (i.e. 31st July) of the year.
- v) **The recommendations to be made shall be valid only if these are made in the prescribed format provided to each Member of Parliament by KVS(HQ). Recommendations sent in any other format/manner shall not be considered.**
- vi) The children recommended by Hon'ble Members of Parliament must be otherwise eligible for admission as per the extant KVS Admission Guidelines.

(Avinash Dikshit)
Commissioner

Distribution:

1. PS to Speaker, Lok Sabha.
2. PS to Dy. Chairman, Rajya Sabha
3. All Members of Parliament (RS & LS)
4. PS to Minister for Human Resource Development, Shastri Bhavan, New Delhi.
5. PS to Minister of State for HRD, Shastri Bhavan, New Delhi.

Copy to:

1. JS (UT-2), Ministry of HRD, New Delhi
2. All Deputy Commissioners, KVS, Regional Offices & ZIETs
3. All Principals of Kendriya Vidyalayas
4. Guard File.